

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र / 134 / 2014

तारीख रजु 24.12.2014

उनवान

1. श्रीमती कमलेश पत्नी निरंजन वगै० जाति जाट निवासी क्यारदा कलां तह० हिण्डौन जिला करौली

-----सायलान 05

बनाम

1. निरंजन पुत्र जसमन्त वगै० जाति जाट निवासी क्यारदा कलां तह० हिण्डौन जिला करौली

-----गैरसायलान 03

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 16.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक प्रार्थना ग्राम क्यारदा कलां तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 327 के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सायल वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 16.12.2019 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 134/2014 श्री कमलेश आदि बनाम निरंजन आदि अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिविल जिला करौली

